

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी)बोर्ड
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर-492006

फोन-0771-4240501, फ़ैक्स-4094472, email-mdcgmandiboard@gmail.com, website-www.agriportal.cg.nic.in

क्रमांक/बी-1/1/विधि/176-4(जी)/2020-21/7171

रायपुर, दिनांक- 15/3/2021

मंडी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक के पद पर
सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु विज्ञापन

छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड के संचालक मंडल की अनुमति के परिप्रेक्ष्य में राज्य मंडी बोर्ड सेवा संवर्ग के (तृतीय श्रेणी) छ.ग. राज्य मंडी बोर्ड सेवा विनियम 1998 के विनियम 6 एवं 7 के प्रावधान अनुसार, कृषि उपज मंडी समितियों के लिये स्वीकृत पदों के अंतर्गत रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी एवं पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाइट www.cgvyapam.cgstate.gov.in पर आमंत्रित किये जाते हैं।

परीक्षा कार्यक्रम निम्नानुसार है :-

1. परीक्षा की तिथि - 29 अप्रैल 2021 (गुरुवार)
2. परीक्षा का समय - पूर्वाह्न 09:00 बजे से 12:15 बजे तक।
3. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि - 18.03.2021 (गुरुवार)
4. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरकर ऑनलाईन परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि - 04.04.2021 (रविवार), रात्रि 11:59 बजे तक।
5. त्रुटि सुधार करने की तिथि- 05 अप्रैल 2021 से 09 अप्रैल 2021 तक।
5. व्यापम की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि - 19.04.2021 (सोमवार)
6. परीक्षा केन्द्र - 08 जिला मुख्यालयों में - अम्बिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, रायपुर, रायगढ़, कांकेर एवं दंतेवाड़ा।
7. रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	पद का नाम	वेतन मैट्रिक्स	वर्ग	पद संख्या	शैक्षणिक योग्यता
1	2	3	4	5	6
1	मंडी निरीक्षक	लेवल-7 वेतन मैट्रिक्स- 28700-91300	अनारक्षित	09 (03 महिला हेतु आरक्षित एवं 01 भू.पू.सै. हेतु आरक्षित)	स्नातक।
			अनुसूचित जनजाति	07 (02 महिला हेतु आरक्षित एवं 01 भू.पू.सै. हेतु आरक्षित)	
			अन्य पिछड़ा वर्ग	03 (01 महिला हेतु आरक्षित)	
			अनुसूचित जाति	03 (01 महिला हेतु आरक्षित)	
कुल पद				22	
2	उप निरीक्षक	लेवल-6 वेतन मैट्रिक्स- 25300-80500	अनुसूचित जनजाति	118 (35 महिला हेतु आरक्षित एवं 12 भू.पू.सै. हेतु आरक्षित)	स्नातक।
			अनुसूचित जाति	28 (08 महिला हेतु आरक्षित एवं 03 भू.पू.सै. हेतु आरक्षित)	
कुल पद				146	

8. विस्तृत विज्ञापन, पाठ्यक्रम, ऑनलाईन आवेदन एवं शुल्क भुगतान की विधि तथा अन्य जानकारी व्यापम की वेबसाइट www.cgvyapam.cgstate.gov.in पर देखा जा सकता है।

प्रबंध संचालक
छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
इरायपुर (छ.ग.)



कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी)बोर्ड

बीज भवन, जी.ई.रोड़, तेलीबांधा, रायपुर-492006


फोन-0771-4240501, फ़ैक्स-4094472, email-mdcgmandiboard@gmail.com, website-www.agriportal.cg.nic.in

छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड अंतर्गत व्यापम के माध्यम से मंडी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु, जारी विज्ञापन क्रमांक 7.1.7.1....., दिनांक 15.03.21 के परिप्रेक्ष्य में अभ्यर्थियों के नियुक्ति के लिए विहित शर्तों की जानकारी निम्नानुसार है :-

1. आवेदक का छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2021 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, अन्य विशेष वर्गों के लिये राज्य शासन द्वारा जो आयु छूट दी गई है वे छूट यथावत लागू रहेगी। मंडी बोर्ड में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी/सविदा कर्मचारियों को निर्धारित आयु सीमा में 05 वर्ष की शिथिलता प्रदान की जावेगी। सभी प्रकार के छूटों को लागू करने के बाद सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अतः आवेदक अपने आयु सीमा में छूट हेतु शासकीय नियमों निर्देशों को भली भांति अध्ययन कर लें एवं उसके प्रमाण स्वरूप आवश्यक स्व प्रमाणित दस्तावेज सत्यापन के समय उपलब्ध करावें।
2. आवेदित पद के अनुरूप शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों सहित जन्मतिथि प्रमाणित करने के लिये प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि का उल्लेख हों, दस्तावेज सत्यापन के समय उपलब्ध करावें।
3. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को स्थायी जाति प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रति, दस्तावेज सत्यापन के समय उपलब्ध करावें।
4. यदि किसी भी आरक्षित अथवा अनारक्षित वर्ग के महिलाओं के लिये आरक्षित पद पर उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे रिक्त पद अग्रेषित (Carryforward) नहीं किये जायेंगे, वरन् उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवार के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे जिस प्रवर्ग के लिये आरक्षित है। अनारक्षित पद के विरुद्ध सभी वर्ग के योग्य उम्मीदवार आवेदन दे सकते हैं।
5. दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिक के विरुद्ध सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़कर) में से जिस श्रेणी के आवेदक होंगे, उसे हॉरिजेन्टल आरक्षण के कारण उस श्रेणी के अंतर्गत माना जावेगा।
6. आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करें तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता/शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन करें। चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी स्तर पर आवेदन के अयोग्य पाये जाने पर आवेदन/नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी तथा आवश्यकतानुसार समुचित वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी।
7. उपरोक्त पदों पर किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिये किसी भी प्रकार की अनुशंसा अथवा दबाव वर्जित है। ऐसा पाये जाने पर संबंधित आवेदक का आवेदन निरस्त किया जावेगा।
8. अभ्यर्थी की सेवा राज्य मंडी बोर्ड सेवा विनियम 1998 के अधीन शासित होगी।
9. विज्ञापन में दर्शाये गये पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने संबंधी निर्णय लेने का सर्वाधिकार प्रबंध संचालक, छ0ग0राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड रायपुर को होगा।

10. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड रायपुर का होगा ।
11. व्यापम स्तर पर दोनों पदों हेतु एक ही ऑनलाईन आवेदन लिया जाएगा एवं एक ही परीक्षा आयोजित की जावेगी। कृषि विपणन बोर्ड द्वारा मूल दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत मेरिट के आधार पर प्रथम क्रम में "मण्डी निरीक्षक" के पदों पर चयन/नियुक्ति/उपस्थिति उपरांत द्वितीय क्रम पर उसी मेरिट के आधार पर "उप निरीक्षक" के पदों पर चयन/नियुक्ति की जाएगी।
12. शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत नियमित/संविदा कर्मचारियों को नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्तकर, दस्तावेज सत्यापन के समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
13. चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पायी जाती है तो संबंधित की नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।
14. प्रतीक्षा सूची जारी दिनांक से एक वर्ष के लिये मान्य होगी।
15. पद भरने या नहीं भरने या विज्ञापन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक, छ0ग0राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड का होगा।
16. सेवा में रिक्त पदों पर सीधे भर्ती 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्ति की जावेगी तथा नियुक्त सेवकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70%, 80%, एवं 90% राशि स्टाइपेण्ड के रूप में दिया जायेगा तथा परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान के न्यूनतम पर वेतन नियत किया जायेगा।
17. प्रत्येक परिवीक्षा पर नियुक्त कर्मचारी को नियुक्ति के दिनांक को यह अनुबंध करना होगा कि वह कम से कम तीन वर्ष तक बोर्ड की सेवा करेगा और अनुबंध के उल्लंघन की दशा में तीन माह के वेतन एवं भत्तों की पूर्ति के रूप में नगद जमा करेगा।
18. सेवा में नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति अपनी सेवा प्रारंभ करने के तत्काल पूर्व में उसके स्वामित्व की, उसके द्वारा अर्जित या प्रबंधित या उसके कुटुम्ब के उस पर आश्रित किसी भी सदस्य के स्वामित्व की, उसके द्वारा अर्जित या प्रबंधित समस्त अचल संपत्तियों की घोषणा करेगा।
19. उसे भारत के संविधान के प्रति अपनी निष्ठा घोषित करनी होगी, और
20. वह यह भी घोषित करेगा कि उसे सेवा के निबंधनो नियमों तथा शर्तों की जानकारी है व वह उसका पूर्णतः पालन करेगा।
21. ऐसा कोई पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हो तथा ऐसी कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो, सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा/होगी।
22. किसी भी ऐसे उम्मीदवार को सेवा या पद पर नियुक्ति नहीं किया जावेगा (क) यदि उसे शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के परिणाम स्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो, तथा लोक सेवा में नियोजन के लिये अनर्ह घोषित कर दिया गया हो, (ख) यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।

23. दिनांक 11.05.2000 से जो व्यक्ति विवाह की न्यूनतम निर्धारित आयु से पहले विवाह करेगा, उसे राज्य मंडी बोर्ड सेवा में भर्ती के लिये अयोग्य माना जावेगा।
24. यह नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय, छ.ग. बिलासपुर के रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 591/2012, 592/2012, 593/2012 तथा 594/2012 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन होगी।



अपर संचालक

छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
बिलासपुर (छ.ग.)